



## राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ० प्र०

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ



पत्रांक: अधि०-क'(भर्ती-21)/2018- 456

दिनांक 17/3/2018

### कार्यालय ज्ञाप

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1, उ०प्र० पत्र संख्या-1696/80-1-2014-600(14)/2014 दिनांक 11 सितम्बर, 2014 द्वारा उर्दू अनुवादक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों को कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/10/94-का-4-2011 दिनांक 30.11.2011, शासनादेश संख्या-संख्या-15/10/94-का-4-2013 दिनांक 13 फरवरी, 2013 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/10/94-का-4-2013 दिनांक 11.10.2013 द्वारा उर्दू अनुवादक संवर्ग का ढांचा पुनर्गठन एवं वेतनमान निम्नानुसार अनुमन्य कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

क० सं०	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	भर्ती की विधि/अर्हता
1.	उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	सीधी भर्ती। उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक सेवा नियमावली, 1994 के प्राविधानानुसार
2.	उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर इस प्रतिबन्ध के साथ पद सहित ग्रेड पे रू० 2800 में उच्चिकृत कि पद रिक्त होने पर रिक्तियां प्रथम स्तर की मानी जायेगी।
3.	उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक	9300-34800	4200	09 वर्ष की उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पद पर संतोषजनक सेवा पर इस प्रतिबन्ध के साथ ग्रेड पे रू० 4200 में उच्चिकृत, कि पद रिक्त होने पर रिक्तियां प्रथम स्तर की मानी जायेगी। उक्त उच्चिकरण उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के उपलब्ध पदों के 30 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुमन्य होगा।

**नोट**--संवर्ग के विभिन्न स्तर के कार्मिकों के कर्तव्य एवं दायित्व (टंकण कार्य को छोड़कर) समकक्ष स्तर के सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदों के कार्य निर्वहन का दायित्व भी सम्मिलित होगा।

2- उपर्युक्तानुसार निर्धारित सेवा विधि पर अनुमन्य पद पर सम्बन्धित पदधारक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-841/दस-2009-59(एम)/2009 दिनांक 24.12.2009 के अनुसार किया जायेगा।

3(1) कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.11.2011 द्वारा उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक (उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक) के संवर्ग पुनर्गठन के फलस्वरूप पुनर्गठित ढांचे में उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन रू० 2800 में उच्चिकृत करने हेतु 15 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अवधि की गणना मूल पद उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक (परिवर्तित पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी।

(2) कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.02.2007 के प्राविधानों के अनुपालन में जिन कार्मिकों को 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर उच्चिकृत कर दिया गया है तथा जिन्हें तत्कम में ग्रेड वेतन रू० 2400 अनुमन्य हो रहा है, को भी मूल पद उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैण्ड-1, एवं ग्रेड वेतन रू० 2800 में उच्चिकृत किया जायेगा।

(3) उपर्युक्तानुसार उच्चिकरण के फलस्वरूप पद रिक्त होने पर, घटित होने वाली रिक्तियां प्रथम स्तर (उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक) स्तर की मानी जायेगी।

4- कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/10/94-का-4-2013 दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 द्वारा निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:-

(1) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 रू० 5200-20200 ग्रेड वेतन रू० 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के तृतीय स्तर के पद का नाम उर्दू अनुवादक-सह-प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) के स्थान पर उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक रखा जाय।

(3) ऐसे विभाग जहाँ उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पदों की संख्या के 30 प्रतिशत का आगणन 01 पद से कम बनता हो, वहाँ उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक का न्यूनतम 01 पद रखा जाय।

(4) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक के 03 पदों से कम संख्या वाले विभागों, जहाँ 30 प्रतिशत का आगणन 01 से कम आता है, वहाँ संवर्ग के पदों का ढांचा निम्नवत् निर्धारित किया जाय-

क्र० सं०	संवर्ग के कुल पदों की संख्या	संवर्गीय पदों के पदनाम, ग्रेड वेतन एवं निर्धारित संख्या
1.	01	1-01 पद, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रू० 2000 अनुमन्य होगा। 2-15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रू० 2800 अनुमन्य होगा। 3- उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक का पदनाम अनुवादक-सह-प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रू० 4200 अनुमन्य होगा।
2.	02	1-02 पद, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रू० 2000 अनुमन्य होगा। 2-15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रू० 2800 अनुमन्य होगा। 3- उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम 01 पदधारक का पदनाम अनुवादक सह-प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रू० 4200 अनुमन्य होगा।
3.	03	1-03 पद, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रू० 2000 अनुमन्य होगा। 2-15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रू० 2800 अनुमन्य होगा। 3- उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम 01 पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रू० 4200 अनुमन्य होगा।

(5) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक से 15 वर्ष की सेवा पर उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के रूप में उच्चीकृत होने तथा 09 वर्ष की सेवा वाले उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक से उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक के रूप में उच्चीकृत होने को, सम्बन्धित पदधारकों की पदोन्नति मानी जायेगी तथा उनका वेतन शासनादेश दिनांक 08.12.2008 के प्रस्तर-11 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

उक्त सेवा लाभ तत्कालिक प्रभाव अर्थात् दिनांक 11 सितम्बर, 2014 से अनुमन्य होगा। तदनुसार उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का वेतन निर्धारण परिषद मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

उक्त कार्यालय ज्ञाप निदेशक महोदय प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 16.03.2018 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

(राजीव श्रीवास्तव)  
उप निदेशक (प्रशा०/विप०)

पृष्ठांकन एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उ०प्र०।
2. समस्त उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग में कार्यरत कार्मिक।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी।
4. गार्ड फाइल हेतु।

राजीव  
उप निदेशक (प्रशा०/विप०)